

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट:
<http://upbpb.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारिणी देखें।

30प्र0 पुलिस में पुलिस आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती- 2013

संख्या: पीआरपीबी:एक-1(28)/2013

दिनांक: मई 14, 2013

- 1.1 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-1(2)/2011 दिनांकित 15-07-2011 को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस आरक्षी वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2000 के 20,000 रिक्त पदों, जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैं, को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०सं०	श्रेणी	संख्या
1	सामान्य	10,000
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	5,400
3	अनुसूचित जाति	4,200
4	अनुसूचित जनजाति	400
योग		20,000

- 1.2 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत, होमगार्ड्स के लिए 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षेत्रीय आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे ।
- 1.3 प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा पुलिस आरक्षी के समकक्ष पदों जिनकी भर्ती प्रक्रिया समान हों, के पद भी इस भर्ती में सम्मिलित किये जा सकते हैं। यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है ।
- 2.1 **आवेदन की समय सारिणी-**

(अ) ओ०एम०आर० आवेदन पत्रों के लिए-

- (1) आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघरों से प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि: 18-07-2013
- (2) आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघरों में जमा करने की अंतिम तिथि: 20-08-2013

(ब) ऑनलाइन आवेदन पत्रों के लिए-

- (1) पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि: 18-07-2013
- (2) पंजीकरण समाप्त होने की तिथि: 18-08-2013
- (3) आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि: 19-08-2013
- (4) आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि: 20-08-2013

2.2 आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹0-200/- (रूपये दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

2.3 आवेदन शुल्क से छूट

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-1(2)/2011 दिनांकित 15-07-2011 के अभ्यर्थियों, जिन्होंने पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, को इस विज्ञापित भर्ती में कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

3 अर्हतायें :-

3.1-राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्याँमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

3.2-शैक्षिक अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है।

टिप्पणी:-

- (1) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
- (2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

3.3 अधिमानी अर्हतायें

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

3.4 आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो तथा महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल 30प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी ।

परन्तु यह और कि 30प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी-दो-1(2)/2011 दिनांकित 15-07-2011 के अनुसरण में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने पुलिस

आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद के लिए इस विज्ञापित भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।

टिप्पणी:-

(1) यदि किसी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई है, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा की गणना उस वर्ष की 30 जून की तिथि में की जायेगी, जैसा कि अधिवर्षता की आयु की गणना के समय की जाती है।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

3.6-वैवाहिक प्रस्थिति-

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

टिप्पणी:-यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह (bigamy) अथवा बहु विवाह (polygamy) करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।

3.7-शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग भर्ती के लिए पात्र न होंगे।

3.8-ऊंचाई

पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई निम्नवत निर्धारित की गयी है:-

श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए	168 से०मी०	152 से०मी०
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160 से०मी०	147 से०मी०

4-भर्ती की प्रक्रिया-

4.1 प्रारम्भिक लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, से अर्हकारी प्रकृति की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें समुचित स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता के प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र की शैली निम्न प्रकार की होगी:-

क्र०सं०	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय	150
2	तार्किक क्षमता	75
3	आंकिक क्षमता	75
कुल योग		300

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में कुल योग का न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अर्हकारी होगा। किसी भी विषय के लिए अलग-अलग कोई न्यूनतम प्रतिशत अर्हकारी अंक नहीं हैं। जो अभ्यर्थी कुल योग का 35 प्रतिशत अंक पाने में विफल रहेगा वह असफल माना जायेगा। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों में से राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार रिक्तियों की संख्या के 10 गुने के बराबर की संख्या में अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जायेगा।

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुदेश-पुस्तिका में दिया जायेगा तथा बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर भी उपलब्ध होगा ।

4.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 कि०मी० की दौड़ अधिकतम 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि०मी० की दौड़ अधिकतम 18 मिनट के भीतर पूर्ण करना अर्हकारी होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा दौड़ में लिये गये समय के आधार पर अंक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किये जायेंगे:-

(i) पुरुषों के लिए 4.8 कि०मी० की दौड़ (अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड (") में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
20 मिनट तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25 मिनट	80
25 मिनट 01 सेकण्ड से 30 मिनट	60

(ii) महिलाओं के लिए 2.4 कि०मी० की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड (") में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
14 मिनट तक	100
14 मिनट 01 सेकण्ड से 16 मिनट	80
16 मिनट 01 सेकण्ड से 18 मिनट	60

टिप्पणी:- समय की संगणना निकटतम सेकण्ड तक की जायेगी ।

महत्वपूर्ण सूचना:-

अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे निर्धारित दिनांक और समय पर शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु उपस्थित हों। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

4.3 मुख्य लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित प्रश्नपत्र में सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति और बोधगम्यता (कॉम्प्रीहेन्शन) के प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

मुख्य लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र की शैली निम्न प्रकार की होगी:-

क्र०सं०	विषय	अंक
1	सामान्य जानकारी	100
2	मानसिक क्षमता	75
3	तर्कशक्ति	75
4	बोधगम्यता	50
कुल योग		300

मुख्य लिखित परीक्षा में कुल योग का न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अर्हकारी होगा। किसी भी विषय के लिए अलग-अलग कोई न्यूनतम प्रतिशत अर्हकारी अंक नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य लिखित परीक्षा में कुल योग का 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, असफल माने जायेंगे।

मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुदेश-पुस्तिका में दिया जायेगा तथा बोर्ड की वेबसाइट <http://upbpb.gov.in> पर भी उपलब्ध होगा।

टिप्पणी:-

- (1) प्रारम्भिक/मुख्य लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो।
- (2) ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की मूल प्रति अभ्यर्थी द्वारा अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- (3) प्रारम्भिक/मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।
- (4) प्रारम्भिक/मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा का प्रवेश-पत्र यथासमय परीक्षा के 10 दिन पूर्व भेजा जायेगा तथा बोर्ड की वेबसाइट <http://upbpb.gov.in> पर भी उपलब्ध होगा जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

4.4 अभिलेखों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा

(क) अभिलेखों की संवीक्षा:- शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ निर्धारित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

अभ्यर्थी की पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों की मूल रूप में जांच उसी दिन की जायेगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया गया हो। अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड और विभागाध्यक्ष के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जाते हैं वे चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

(ख) चिकित्सा परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिलेख संवीक्षा के पश्चात सही पाये गये हों, का चिकित्सीय परीक्षण गठित चिकित्सीय परीक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सा मैनुअल के अनुसार विहित मापदण्ड के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की ऊंचाई का परीक्षण होगा।

चिकित्सीय परीक्षा परिषद 'पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र' के अनुसार अभ्यर्थियों का परीक्षण करेगा। चिकित्सीय परीक्षा परिषद द्वारा अभ्यर्थी की ऊंचाई के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण किया जायेगा और नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस तथा रिन्नीज परीक्षण, वेबर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील दर्ज करा सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और श्रेष्ठता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.5 चयन तथा श्रेष्ठता सूची:-

(अ) शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
- (ii) उपरोक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की श्रेणी समान हों तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (iii) उपर्युक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (iv) यदि उपर्युक्त विचार के बावजूद भी अंक बराबर-बराबर हों और जन्म दिनांक समान हो और मुख्य लिखित परीक्षा में भी अंक समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थी को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी।

(ब) राज्य की आरक्षण नीति व विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठताक्रम में एक चयन सूची तैयार की जायेगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराये जाने वाले चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन होगी।

5-आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं :-

5.1 लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क्र० सं०	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण-पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित	02	05 वर्ष	जाति	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

	जनजाति			प्रमाण-पत्र प्रारूप-1	सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण-पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/

5.2 क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क्र० सं०	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण- पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	05 वर्ष	आश्रित प्रमाण-पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उपजिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/
2	भूतपूर्व सैनिक	05	3 वर्ष*	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	होमगार्ड्स (केवल पुरुष)	05	03	होमगार्ड्स प्रमाण-पत्र	जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स
4	महिला	20	लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण की उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1-3 में अंकित श्रेणी के अनुसार		

* भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी:-

- (1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा ।
- (2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा ।

- (4) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-2) 01 अप्रैल, 2012 या उसके बाद का आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए।
- (5) उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2 तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप-3 **परिशिष्ट-1** पर है।
- (6) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (7) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।
- (8) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (9) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा-आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।
- (10) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
- (11) क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

6- आवेदन की प्रक्रिया:-

इस प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित विकल्प हैं:-

6.1- ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र: अधिसूचित डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र प्राप्त कर डाकघर में जमा कराया जाना।

- 1- आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश के अधिसूचित डाकघरों में बिन्दु-2.1(अ) में निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध होंगे। अधिसूचित डाकघरों की सूची **परिशिष्ट-2** पर है।
- 2- आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश में अधिसूचित डाकघरों से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे, जिसकी रसीद सम्बन्धित डाकघर द्वारा दी जायेगी। आवेदन-पत्र ओ०एम०आर० प्रपत्र के रूप में होंगे तथा अभ्यर्थी अपने नाम से प्राप्त किये गये ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र पर ही आवेदन कर सकेंगे।
- 3- आवेदन-पत्र दो प्रकार के होंगे-
 - (1) नये अभ्यर्थियों के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क ₹० 200/- का भुगतान करने पर प्राप्त होंगे।
 - (2) जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.2011 के अनुसरण में पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था उनके लिए आवेदन-पत्र भिन्न है। यह आवेदन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा **परिशिष्ट-3** में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थी इस आवेदन के लिए प्रारूप की छायाप्रति का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 4- विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र सम्बन्धित डाकघर में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् आवेदन-पत्र सम्बन्धित डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन-पत्र जिस डाकघर से प्राप्त किये गये हैं, उसी डाकघर में जमा किये जायेंगे। **अभ्यर्थियों द्वारा सीधे बोर्ड को प्रेषित ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।**
- 5- ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र प्राप्त कर लेने पर उसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा चाहे उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया गया हो अथवा नहीं।
- 6- अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन-पत्र भर सकेगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र भरने पर उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
- 7- ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये जायेंगे। पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों की मूलरूप में जांच निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी तथा अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।
- 8- ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र भरते समय इरेजर/सफेदा/करेक्टिंग फ्ल्यूड अथवा ब्लेड का प्रयोग कतई न किया जाये अन्यथा आवेदन-पत्र में भरे गये गोले मशीन द्वारा नहीं पढ़े जायेंगे तथा ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 9- अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र व अनुदेश-पुस्तिका में अंकित निर्देशों की उपेक्षा/अवहेलना करने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6.2- ऑनलाइन आवेदन-पत्र: इन्टरनेट के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर सीधे आवेदन-पत्र जमा किया जाना।

- (1) इण्टरनेट के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट: <http://prpb.up.nic.in> पर जाकर आवेदन-पत्र ऑन-लाइन भरे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे। द्वितीय चरण में वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किये गये ई-चालान को लेकर निर्धारित बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन-पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे।
- (2) जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.2011 के अनुसरण में आवेदन किया था वे भी ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके अभ्यर्थन के सत्यापन के उपरान्त उन्हें आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑन-लाइन सम्पादित होगी।
- (3) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध रहेंगे।

6.3- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- (1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (2) किसी सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किये जा रहे फोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (3) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
- (4) जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.2011 के अनुसरण में आवेदन किया था परन्तु उनके पास ओ0एम0आर0 संख्या उपलब्ध नहीं है, उनकी सुविधा के लिए बोर्ड की वेबसाइट- <http://uppbpb.gov.in> पर 'क्वेरी' (Query) उपलब्ध होगी।
- (5) जो अभ्यर्थी बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.11 में अभ्यर्थी होने के कारण निःशुल्क आवेदन करने का लाभ प्राप्त करते हैं, उनके विवरण का सत्यापन बोर्ड द्वारा कराया जायेगा। असत्य सूचना देकर किये गये निःशुल्क आवेदन (ओ0एम0आर0 अथवा ऑनलाइन) को निरस्त कर दिया जायेगा।

7-अन्य

- 1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।
- 2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।
- 3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।
- 4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।
- 5- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।
- 6- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित 30प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी ।

8-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

अपर सचिव (भर्ती)
30प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..... निवासी ग्राम.....
 तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य
 की..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा
 कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
 अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
 के..... ग्राम..... तहसील..... नगर.....
 जिला..... में सामान्यतया रहता है।
 स्थान..... हस्ताक्षर.....
 दिनांक..... पूरा नाम.....
 पदनाम
 मुहर.....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/
 परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,
 यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप-2**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील.....
 नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....

पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील.....
 नगर..... जिला..... में सामान्यतः रहता है ।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप-3

उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/3/1982-कार्मिक-2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
निवासी..... ग्राम..... तहसील..... नगर.....
जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के
आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं
और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही
प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।
स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-2

अधिसूचित डाकघरों की सूची जहां से आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं :-

क्र०सं०	जनपद	डाकघर का नाम	क्र०सं०	जनपद	डाकघर का नाम
1	एटा	मुख्य डाकघर एटा	39	बलरामपुर	मुख्य डाकघर बलरामपुर
2	एटा	जलेसर	40	कासगंज	कासगंज
3	एटा	अलीगंज	41	कौशाम्बी	मुख्य डाकघर सिराथू
4	झांसी	मुख्य डाकघर झांसी	42	कानपुर देहात	उप डाकघर अकबरपुर
5	झांसी	उप डाकघर मऊरानीपुर	43	कानपुर नगर	घाटमपुर
6	झांसी	तालबेहट	44	कानपुर नगर	बिल्हौर
7	इटावा	मुख्य डाकघर इटावा	45	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर
8	इटावा	भरथना, इटावा	46	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर कैण्ट
9	इटावा	सैफई	47	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर नवाबगंज
10	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर इलाहाबाद	48	कुशीनगर	मुख्य डाकघर पडरौना
11	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर कचहरी इलाहाबाद	49	कुशीनगर	कसया
12	इलाहाबाद	उप डाकघर इलाहाबाद नगर	50	कन्नौज	मुख्य डाकघर कन्नौज
13	इलाहाबाद	हंडिया	51	कन्नौज	तिरवा
14	इलाहाबाद	करछना	52	मऊ	मुख्य डाकघर मऊनाथ भंजन
15	बलिया	मुख्य डाकघर बलिया	53	मऊ	मुहम्मदाबाद
16	बलिया	मुख्य डाकघर रसड़ा	54	मथुरा	मुख्य डाकघर मथुरा
17	बलिया	बेलथरा रोड	55	मथुरा	उप डाकघर छाता
18	बहराईच	मुख्य डाकघर बहराईच	56	महराजगंज	मुख्य डाकघर महराजगंज
19	बहराईच	नानपारा	57	हाथरस	हाथरस
20	बरेली	आंवला	58	हाथरस	सिकन्दराराउ
21	बरेली	मुख्य डाकघर बरेली	59	महोबा	मुख्य डाकघर महोबा
22	बरेली	बरेली नगर	60	महोबा	चरखारी

23	बरेली	बहेड़ी	61	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा
24	बांदा	मुख्य डाकघर बांदा	62	सम्भल	मुख्य डाकघर सम्भल
25	बांदा	उप डाकघर बबेरू	63	सम्भल	मुख्य डाकघर चंदौसी
26	बाराबंकी	बाराबंकी	64	मुरादाबाद	मुरादाबाद
27	बाराबंकी	हैदरगढ़	65	मुजफ्फरनगर	मुख्य डाकघर मुजफ्फरनगर
28	बागपत	बागपत	66	मुजफ्फरनगर	खतौली
29	बागपत	मुख्य डाकघर बड़ौत	67	शामली	शामली
30	बस्ती	हरैया	68	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ कैण्ट
31	बस्ती	मुख्य डाकघर बस्ती	69	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ नगर
32	बदायूं	मुख्य डाकघर बदायूं	70	मेरठ	सरधना
33	सम्भल	गुन्नौर	71	मेरठ	मवाना
34	बदायूं	सहसवान	72	मैनपुरी	मुख्य डाकघर मैनपुरी
35	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	73	मैनपुरी	उप डाकघर मैनपुरी नगर
36	बुलन्दशहर	मुख्य डाकघर, खुर्जा	74	बिजनौर	मुख्य डाकघर बिजनौर
37	बुलन्दशहर	अनूपशहर	75	बिजनौर	मुख्य डाकघर धामपुर
38	बुलन्दशहर	स्याना	76	बिजनौर	मुख्य डाकघर नजीबाबाद
77	मिर्जापुर	मुख्य डाकघर मिर्जापुर	115	अमेठी	मुख्य डाकघर अमेठी
78	मिर्जापुर	चुनार	116	देवरिया	मुख्य डाकघर देवरिया
79	सिद्धार्थ नगर	मुख्य डाकघर बांसी	117	देवरिया	सलेमपुर
80	सिद्धार्थ नगर	तेतरी बाजार	118	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी
81	सिद्धार्थ नगर	डुमरियागंज	119	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी कैण्ट
82	चित्रकूट	मुख्य डाकघर कर्वी	120	वाराणसी	उप डाकघर बी.एच.यू.
83	फिरोजाबाद	मुख्य डाकघर फिरोजाबाद	121	चन्दौली	मुख्य डाकघर चन्दौली
84	फिरोजाबाद	उप डाकघर शिकोहाबाद	122	फरुखाबाद(फतेहगढ़)	मुख्य डाकघर फतेहगढ़
85	हमीरपुर	मुख्य डाकघर हमीरपुर	123	फरुखाबाद(फतेहगढ़)	कायमगंज
86	हरदोई	मुख्य डाकघर हरदोई	124	फतेहपुर	मुख्य डाकघर फतेहपुर

87	हरदोई	मुख्य डाकघर सण्डीला	125	फतेहपुर	उप डाकघर बिन्दकी
88	पीलीभीत	मुख्य डाकघर पीलीभीत	126	फैजाबाद	उप डाकघर बीकापुर
89	पीलीभीत	बीसलपुर	127	फैजाबाद	मुख्य डाकघर फैजाबाद
90	प्रतापगढ़	मुख्य डाकघर प्रतापगढ़	128	अमरोहा	मुख्य डाकघर अमरोहा
91	प्रतापगढ़	पट्टी	129	जौनपुर	मुख्य डाकघर जौनपुर
92	प्रतापगढ़	लालगंज	130	जौनपुर	मुख्य डाकघर मडियांहू
93	रायबरेली	मुख्य डाकघर रायबरेली	131	जालौन	मुख्य डाकघर उरई
94	रायबरेली	मुख्य डाकघर लालगंज	132	जालौन	उप डाकघर कालपी
95	रामपुर	मुख्य डाकघर रामपुर	133	जालौन	जालौन
96	रामपुर	बिलासपुर	134	अम्बेडकर नगर	मुख्य डाकघर अकबरपुर
97	श्रावस्ती	भिनगा	135	अम्बेडकर नगर	टांडा
98	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर शाहजहांपुर	136	औरैया	औरैया
99	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर तिलहर	137	औरैया	विधुना
100	संत कबीरनगर	मुख्य डाकघर खलीलाबाद	138	आजमगढ़	मुख्य डाकघर आजमगढ़
101	संत रविदास नगर	जानपुर	139	आजमगढ़	निजामाबाद
102	संत रविदास नगर	भदोही	140	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा कैन्ट
103	सहारनपुर	मुख्य डाकघर सहारनपुर	141	आगरा	संजय पैलेस
104	सहारनपुर	देवबन्द	142	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा फोर्ट
105	सीतापुर	मुख्य डाकघर सीतापुर	143	आगरा	फतेहाबाद
106	सीतापुर	उप डाकघर सिधौली	144	अलीगढ़	मुख्य डाकघर अलीगढ़

107	सीतापुर	उप डाकघर सीतापुर नगर	145	अलीगढ़	अतरौली
108	सीतापुर	बिसवां	146	अलीगढ़	इगलास, अलीगढ़
109	सोनभद्र	बड़ा डाकघर राबर्ट्सगंज	147	गाजियाबाद	मुख्य डाकघर गाजियाबाद
110	सोनभद्र	शक्तिनगर	148	गाजियाबाद	मोदीनगर
111	सुलतानपुर	मुख्य डाकघर सुलतानपुर	149	हापुड़	प्रधान डाकघर, हापुड़
112	उन्नाव	उन्नाव	150	गोण्डा	मुख्य डाकघर गोण्डा
113	उन्नाव	पुरवा	151	गोण्डा	नवाबगंज
114	अमेठी	मुसाफिरखाना	152	गोण्डा	कर्नेलगंज
153	गोरखपुर	उप डाकघर बांसगांव	161	लखीमपुर खीरी	मुख्य डाकघर गोलागोकर्णनाथ
154	गोरखपुर	मुख्य डाकघर गोरखपुर	162	लखीमपुर खीरी	पलिया
155	गोरखपुर	मुख्य डाकघर कुराघाट	163	लखीमपुर खीरी	मुख्य डाकघर खीरी
156	गौतमबुद्ध नगर	मुख्य डाकघर नोएडा	164	लखनऊ	प्रधान डाकघर लखनऊ
157	गौतमबुद्ध नगर	दादरी	165	लखनऊ	मुख्य डाकघर चौक लखनऊ
158	गाजीपुर	गाजीपुर	166	लखनऊ	दिलकुशा
159	गाजीपुर	मोहम्मदाबाद युसुफपुर	167	लखनऊ	आर.एस.एम.नगर
160	गाजीपुर	सैदपुर	168	लखनऊ	अलीगंज
			169	ललितपुर	मुख्य डाकघर ललितपुर

परिशिष्ट-3**उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ****निःशुल्क ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध-पत्र का प्रारूप**

(केवल पुलिस आरक्षी व आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 के अभ्यर्थियों के लिए)

1- अभ्यर्थी का नाम -

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

2- अभ्यर्थी का नाम -

(हिन्दी में)

3- पिता/पति का नाम -

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

4- माता का नाम -

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

5- जन्म तिथि-

6- श्रेणी-

7- गृह जनपद-

8- पुलिस आरक्षी व आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 की

ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--

मैंने पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी की सीधी भर्ती की संयुक्त परीक्षा-2011 के लिए अपना आवेदन-पत्र डाकघरजनपद में जमा किया था, जिसकी ओ०एम०आर० आवेदन-पत्र संख्या उपरोक्तानुसार है। कृपया मुझे वर्तमान में निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष निःशुल्क आवेदन-पत्र प्रदान किया जाये।

2- मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचनायें मेरे संज्ञान में सत्य हैं। इन सूचनाओं के अधूरे या असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक-

स्थान-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर